रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 1984/कार्तिक 3, 1906
No. 522] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 1984/KARTIKA 3, 1906

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1984

का आ 805(अ) —केन्द्रीय सरकार, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 57) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस. एम. सुन्दरम को 1 नवम्बर, 1984 को पूर्वाह्न से अंदाय आयुक्त नियुक्त करती है ।

[सं एल-39(17)/84-डीवी]

आर वी वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1984

S.O. 805(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Bengal Immunity Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984 (57 of 1984), the Central Government hereby appoints Shri S. M. Sundram as Commissioner of Payments with effect from the forenoon of 1st November, 1984.

[No. L-39(17)|84-DV]

R. V. VAIDYANTHA AYYAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984